समाहरणालय, मुंगेर
मुंगेर–811201
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

C.F.M.S आदेश संख्या– 853/दिनांक 31.05.18 के आवंटन आई0डी0 संख्या–38979 मुख्य शीर्ष 39–2245021010007 यूनिट कोड 3501 अग्निकांड के फलस्वरूप वस्त्र/बर्त्तन अनुदान मद में मो0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन को संयुक्त आयुक्त (लेखा), वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 6903/ दिनांक 13.09.18 के आलोक में अंचल अधिकारी, जमालपुर का ज्ञापांक 176/दिनांक 11.02.19, एवं अंचल अधिकारी, ह0 खड़गपुर का ज्ञापांक 78/दिनांक 30.01.19 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न प्रकार राशि का उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	अंचल का नाम	सरकार से प्राप्त आवंटन	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्त्तमान में उपावंटित राशि	कुल आवंटित राशि (क्र0 4+5)	जिला में अवशेष राशि (क्र0 3–6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर	15,00,000.00	3,15,400.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार चार सौ) रू0	—	3,15,400.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार चार सौ) रू0	10,02,200.00 (दस लाख दो हजार दो सौ) रू0
2.	अंचल अधिकारी, धरहरा		49,400.00 (उनचास हजार चार सौ)रू0	—	49,400.00 (उनचास हजार चार सौ)रू0	
3.	अंचल अधिकारी, संग्रामपुर		26,600.00 (छब्बीस हजार छः सौ) रू0	—	26,600.00 (छब्बीस हजार छः सौ) रू0	
4.	अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर		—	76,000.00 (छिहत्तर हजार)रू0	76,000.00 (छिहत्तर हजार)रू0	
5.	अंचल अधिकारी, जमालपुर		—	30,400.00 (तीस हजार चार सौ)	30,400.00 (तीस हजार चार सौ)	
	कुल योग	15,00,000.00	3,91,400.00 (तीन लाख एकानवे हजार चार सौ)रू0	1,06,400.00 (एक लाख छः हजार चार सौ)रू0	4,97,800.00 (चार लाख सनतानवे हजार आठ सौ)रू0	10,02,200.00 (दस लाख दो हजार दो सौ) रू0

1. यह उपावंटन अंचलों को अग्निकांड पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है। निदेश दिया जाता है कि राशि का शत् प्रतिशत व्यय उपरांत अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।

2. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद में राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

3. अग्निकांड आपदा प्रभावित परिवार को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने से संबंधित विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

4. उपावंटित की गई राशि यथा संभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरीहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी **AC** विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का DC बिल महालेखाकार विभाग, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र अचुकरूप से दिनांक 15.03.19 तक अवश्य भेज दिया जाय।

Kr 11/03

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 (वि0)(2), दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.19 तक निश्चित रूप से कर दे अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

8. इस उपावंटन की सूचना प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

–ह0–

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ...168......./आ0प्र0, दिनांक ......11/03/19...

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, जमालपुर एवं ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि मुंगेर वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर एवं खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को C.F.M.S आदेश संख्या– 850/ दिनांक 31.05.18 आवंटन आई0डी0 38679 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

11/03

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।